आरक्षित निर्णय

उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में गैर-कानूनी आपराधिक में।
2012 की रिट याचिका संख्या 1177

मोहम्मद. सफी.

याचिकाकर्ता

बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

प्रतिवादी

श्री एम. सी. कांडपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एस. एस. चौधरी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता श्री ए. एस. गिल, सरकारी अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हैं।

माननीय बी. एस. वर्मा, जे. माननीय सुधांशु धूलिया, जे. माननीय यू. सी. ध्यानी, जे.

माननीय सुधांशु धूलिया, जे.

1. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश और इस न्यायालय के एक अन्य माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के संदर्भ पर इस पूर्ण पीठ के समक्ष है।यह संदर्भ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों (इसके बाद "पुलिस विनियम" के रूप में संदर्भित) में एक प्रावधान से संबंधित है, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में भी लागू है।कानून का प्रावधान "हिस्ट्री शीट" से संबंधित है और यह भी कि किसी विशेष मामले में हिस्ट्री शीट कैसे खोली जानी चाहिए।जहां इस न्यायालय की पूर्ववर्ती खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उस विशेष मामले में इतिहास-पत्र खोलना गलत था, क्योंकि खण्ड पीठ की मत थी कि संबंधित व्यक्ति (यानी याचिकाकर्ता) आदतन अपराधी या ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देने वाला नहीं था, क्योंकि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं था, माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली वर्तमान खण्ड पीठ ने पुलिस विनियमों में एक प्रावधान का उल्लेख किया है, जो कहता है कि इतिहास-पत्र न मात्र तब खोला जा सकता है जब कोई व्यक्ति जो आदतन अपराधी है या ऐसे अपराधी को उकसाने वाला है, बल्कि उस मामले में भी जहां उसके "बनने की संभावना है"।

इस पहलू पर पिछली पीठ ने विचार नहीं किया है।इस न्यायालय विनियम के तैयार संदर्भ के लिए यू. पी. पुलिस विनियम के विनियम 228 को यहाँ उद्धृत किया गया हैः

"228.भाग V में इतिहास पत्रक शामिल हैं।ये निगरानी से रखे गए अपराधियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड हैं।इतिहास-पत्रक मात्र उन व्यक्तियों के लिए खोले जाने चाहिए जो आदतन अपराधी हैं या होने की संभावना है या ऐसे अपराधियों को बढ़ावा देते हैं।इतिहास-पत्रक के दो वर्ग होंगेः

(1) क्लास ए-डकैतों, चोरों, मवेशी-चोरों, रेलवे-सामान, वैगन चोरों और उन्हें बढ़ावा देने वालों के लिए इतिहास-पत्र।

(2) डकैती, चोरी, पशु-चोरी और रेलवे माल के डिब्बों से चोरी के अलावा अन्य अपराध करने वाले पुष्ट और पेशेवर अपराधियों के लिए आपराधिक बी हिस्ट्री-शीट, उदाहरण के लिए, पेशेवर धोखेबाज और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए आपराधिक व्यक्तिगत फाइलें आपराधिक जांच विभाग द्वारा रखी जाती हैं, जहर देने वाले, पशु जहर देने वाले, रेलवे यात्री चोर, साइकिल चोर, विशेषज्ञ पिक-पॉकेट, जालसाज, सिक्का बनाने वाले, कोकीन और अफीम तस्कर, किराए पर लिए गए रफियन और गुंडे, टेलीग्राफ वायर-कटर, आदतन अवैध डिस्टिलर और उन्हें बढ़ावा देने वाले।

दोनों कक्षाओं की इतिहास-पत्रिकाओं को समान रूप में रखा जाएगा, लेकिन बी श्रेणी के लिए उन्हें पहले पृष्ठ के शीर्ष पर चिह्नित लाल पट्टी द्वारा अलग किया जाएगा।क्लास-बी की किसी भी हिस्ट्री-शीट को क्लास-ए की हिस्ट्री-शीट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, हालांकि क्लास-बी की हिस्ट्री-शीट का विषय होना चाहिए, वह डकैती, चोरी, मवेशियों की चोरी या रेलवे माल वैगनों से चोरी का आदी भी पाया जाना चाहिए।

पैराग्राफ 238 के से एक वर्ग के साथ-साथ बी वर्ग की निगरानी उस पर लागू की जा सकती है।क्लास ए हिस्ट्री-शीट वाले व्यक्ति के विविध अपराधों का आदी होने की स्थिति में अधीक्षक की मंजूरी से उसकी हिस्ट्री-शीट को क्लास बी हिस्ट्री-शीट में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. खण्ड पीठ द्वारा दिया गया संदर्भ इस प्रकार हैः

"याचिकाकर्ता के वकील श्री एस. एस. चौधरी की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. सी. कांडपाल।

श्री ए. एस. गिल, सरकारी अधिवक्ता, श्री वी. पी. बहुगुणा, उत्तराखंड राज्य के संक्षिप्त धारक/उत्तरदाताओं द्वारा सहायता प्राप्त।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एक खण्ड पीठ के फैसले को हमारे दुष्प्रेरण में लाया है, जहां अन्य बातों के अलावा, अध्याय XX में निहित यू. पी. पुलिस विनियमों के विनियम 228 पर विचार करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया विद्वान है कि मात्र उन व्यक्तियों के विरुद्ध इतिहास-पत्रक खोला जा सकता है, जो डकैती, चोरी, चोरी या उसे उकसाने से संबंधित थे। जबकि विनियमन के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि इसे उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी खोला जा सकता है, जिनके आदतन अपराधी या ऐसे अपराधियों को उकसाने वाले बनने की संभावना है।

तदनुसार, हम महसूस करते हैं कि इस मामले पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

हम, तदनुसार, मामले को बड़ी पीठ के पास भेजते हैं।

3. इसलिए अब हमारे निर्धारण के लिए जो कुछ पड़ा है वह यह है कि क्या खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में और विनियमन 228 और यू. पी. पुलिस विनियमों के अन्य प्रावधानों के आलोक में, जहां न मात्र उस मामले में इतिहास पत्रक खोला जा सकता है जहां किसी व्यक्ति को एक पुष्ट अपराधी माना जाता है, बल्कि जहां उसके बनने की संभावना है, पुलिस अधिकारियों के समक्ष इस निर्धारण पर आने से पहले क्या विचार हैं कि कोई व्यक्ति एक आदतन अपराधी या ऐसे अपराधी को उकसाने दुष्प्रेरक बनने की संभावना रखता है, क्योंकि इस विशेष पहलू यानी किसी व्यक्ति के आदतन अपराधी बनने की संभावना इस न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित नहीं की गई थी।ऐसे मामलों में पुलिस को किन मानदंडों का पालन करना चाहिए और किन बातों पर विचार करना चाहिए?

4. इससे पहले कि हम इस आदेश पर पहुँचें, वर्तमान मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करना उचित होगा।इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता एक 71 वर्षीय मुस्लिम "गुज्जर" है, जो "जय नगर" नंबर 3, पुलिस स्टेशन दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर में रहता है।उन्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है, वास्तव में, उन पर कभी भी किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में आरोप नहीं लगाया गया है।यद्यपि वर्ष 1993 में एस. एस. पी., नैनीताल के एक आदेश द्वारा 'क्लास-ए' 'हिस्ट्री शीटर' के उनके मामले में एक हिस्ट्री-शीट खोली गई थी।तब से वह पुलिस द्वारा निगरानी में है, क्योंकि यह एक "हिस्ट्री शीट" खोलने से आवश्यक उद्देश्य है यानी उस व्यक्ति को निगरानी में रखना।

याचिकाकर्ता निगरानी और अपने अधिकारों पर आक्रमण के कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुचित उत्पीड़न की रिपोर्ट करता है और इस न्यायालय से सुरक्षा मांगता है।स्पष्ट रूप से उससे मामला यह है कि जब उसके विरुद्ध पुलिस के पास अभिलेख में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस पर कभी भी किसी भी प्रसेर के आपराधिक मामले में आरोप नहीं लगाया गया है, तो पुलिस अधिसेरियों के सामने उसे प्रथम श्रेणी में निगरानी में रखने और उसके मामले में इतिहास-पत्र खोलने के लिए "वस्तुनिष्ठ मानदंड" क्या हैं।अपने जवाबी शपथ पत्र में राज्य सरकार इस तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार करती है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।यह मात्र इस बात पर जोर देता है कि अधिकारियों को याचिकाकर्ता पर विविध आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का "संदेह" है और इसलिए उसकी हिस्ट्री-शीट 01.06.1993 पर खोली गई थी।इस प्रभाव का सटीक कथन जवाबी शपथ पत्र के पैरा 6 में दिया गया है, जो इस प्रकार हैः

"वह पैराग्राफ नंबर की सामग्री के जवाब में। रिट याचिका के 5 में यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उसकी हिस्ट्री शीट खोलने के समय यानी 1-6-1993 पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।इसके बावजूद याचिकाकर्ता पर एक पेशेवर प्रकार के सक्रिय विविध अपराध में संदेह था, इसलिए वर्ष 1993 में प्रभारी निरीक्षक, कोटवाली रुद्रपुर की सिफारिश पर; एस. एस. पी., नैनीताल ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध इतिहास पत्रक खोलने का निर्देश दिया, तदनुसार इतिहास पत्रक (एच. एस.) पर इतिहास पत्रक खोला गया। No.110 A, 1-6-1993 पर, P. S. कोटवाली रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में।5. पर्याप्त एहतियात के लिए इस अदालत ने याचिकाकर्ता से संबंधित मूल पुलिस अभिलेख को तलब किया था और अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दिखा सके कि अधिसेरियों के पास याचिकाकर्ता को उसकी हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी में रखने के वैध सेरण थे।

6. यू. पी. पुलिस विनियमन में एक पूरा अध्याय है, जिसका नाम अध्याय XX है, जिसका शीर्षक है "खराब पात्रों का पंजीकरण और खुलासा"।

7. पूरे अध्याय में विनियमन 223 से विनियमन 276 शामिल हैं।हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक विनियम विनियम 223 से 252 होंगे।इन विनियमों से पूरा लहज़ा और सेर्यसेल तत्सेलीन औपनिवेशिक मानसिक स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह "आपराधिक जनजाति अधिनियम" (एक अधिनियम, जिसे वर्ष 1956 में पहले ही निरस्त कर दिया गया है) की बात करता है और अग्रेतर के प्रावधान एक पुराने औपनिवेशिक युग को भी दर्शाते हैं जहां एक समूह या व्यक्तियों या जातियों को 66 "आपराधिक जनजातियों" के रूप में दर्ज किया गया था और निगरानी में रखा गया था।यह "आदतन अपराधियों" की बात करता मात्र और इतना ही नहीं यह कहता मात्र कि कुछ प्रकार के अपराधी मात्रं, जो "सुधार करने में असमर्थ" मात्रं!

8. लेकिन जो भी हो, यहाँ चुनौती सीमित है और हम "पुलिस विनियमों" के विभिन्न प्रावधानों की वैधता को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हमें एक सीमित पहलू पर जांच करनी है, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है।पुलिस विनियमों के प्रतीत होने वाले घृणित प्रावधानों का एक क्षणिक संदर्भ मात्र उस समय और युग का अंदाजा देने के लिए है जब ऐसे विनियम पुलिस अधिनियम, 1861 के से बनाए गए थे।

9. जैसा कि हम पहले ही पुलिस विनियमों के विनियम 228 का उल्लेख कर चुके हैं जो इतिहास पत्रकों के दो वर्गों 'वर्ग-ए' और 'वर्ग-बी' के बारे में बात करता है।क्लास ए डकैतों, चोरों, मवेशी-चोरों, रेलवे माल वैगन चोरों और उन्हें बढ़ावा देने वालों के लिए एक हिस्ट्री-शीट है और क्लास बी उन पुष्ट और पेशेवर अपराधियों के लिए हिस्ट्री-शीट है जो डकैती, चोरी, मवेशियों की चोरी और रेलवे माल वैगनों से चोरी के अलावा अन्य अपराध करते हैं, उदाहरण के लिए, पेशेवर धोखेबाज और अन्य विशेषज्ञ जिनके लिए आपराधिक व्यक्तिगत फाइलें आपराधिक जांच विभाग द्वारा रखी जाती हैं, जहर देने वाले, पशु जहर देने वाले, रेलवे यात्री चोर, साइकिल चोर, विशेषज्ञ पिक पॉकेट, जालसाज, सिक्का बनाने वाले, कोकीन और अफीम तस्कर, किराए पर लिए गए बदमाश और गुंडे, टेलीग्राफ वायर-कटर, आदतन अवैध डिस्टिलर और उन्हें बढ़ावा देने वाले।

10. इस पुलिस विनियम के लेखकों के लिए, अपराधों के दो समूह (यानी वर्ग 'ए' और वर्ग 'बी') पूरी तरह से अलग प्रकृति के हैं।यू. पी. पुलिस विनियमों के विनियम 228 में अग्रेतर कहा गया है कि हालांकि जिस तरह से निगरानी के रिकॉर्ड और जिस तरह से कक्षा 'ए' या कक्षा 'बी' में हिस्ट्री-शीट खोली जानी है, वही है, फिर भी जहां एक श्रेणी 'बी' हिस्ट्री-शीट खोली जाती है, उसे पहले पृष्ठ के शीर्ष पर लाल बार के निशान के साथ खोला जाना चाहिए और कभी भी कक्षा 'बी' हिस्ट्री-शीटर को कक्षा 'ए' हिस्ट्री-शीटर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, हालांकि मामले में, एक व्यक्ति, जो श्रेणी 'बी' के से है, उसे भी इतिहास वर्ग 'ए' से संबंधित अपराध में लिप्त देखा जाता है, तो उसके विरुद्ध दोनों प्रकार के अपराधियों की निगरानी खोलनी पड़ती है।

यद्यपि यह संभव है कि क्लास 'ए' के हिस्ट्रीशीटर को क्लास 'बी' के हिस्ट्रीशीटर में बदल दिया जाए।

11. आम तौर पर यह मान लेना पड़ता है कि चूंकि वर्ग 'क' की हिस्ट्री-शीट में डकैती, चोरी आदि जैसे अधिक परिमाण के अपराध होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में खोली गई हिस्ट्री-शीट अधिक गम्भीर प्रकृति की होती है।लेकिन यह सच नहीं है, वास्तव में इसका उल्टा सच है।यू. पी. पुलिस विनियमों के विनियम 229 के अनुसार हिस्ट्री-शीट का "वर्ग ए" और "वर्ग बी" के रूप में वर्गीकरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जहां हमेशा एक डकैत, चोर, या मवेशी चोर या रेलवे माल वैगन चोर के अपने तरीके सुधारने की उम्मीद रहती है, वहीं विशेषज्ञ विविध अपराधी (वर्ग 'बी' हिस्ट्री-शीट का) एक सामान्य नियम के रूप में "सुधार करने में असमर्थ" है।इसलिए, वर्गीकरण पूरी तरह से उस प्रकार के अपराध पर है जिसके प्रति संदिग्ध व्यसनी हैं और इसे विनियमित करने के लिए बनाया गया है।पुलिस विनियमों का विनियम 229 इस प्रकार हैः

"229।ए और बी के रूप में इतिहास-पत्रकों का यह वर्गीकरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि, जबकि हमेशा एक डकैत, चोर, या मवेशी चोर या रेलवे माल वैगन चोर के अपने तरीके सुधारने की उम्मीद रहती है, विशेषज्ञ विविध अपराधी सामान्य रूप से सुधार करने में असमर्थ है।इसलिए, वर्गीकरण मात्र उस प्रकार के अपराध पर आधारित है जिसके प्रति संदिग्ध व्यसनी हैं और इसे मात्र विनियमित करने के लिए बनाया गया है।

(1) वह अवधि जिसके लिए एक संदिग्ध को आम तौर पर उसके विरुद्ध शिसेयतों की अनुपस्थिति में में निगरानी में रहना चाहिए।

(2) उसकी गतिविधियों के लिए किस तरह की निगरानी की आवश्यकता होती है।

एक संदिग्ध पर उचित प्रकार की निगरानी की मात्रा उसके वर्गीकरण पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि वह किसी विशेष समय पर किस सीमा तक सक्रिय है।

12. क्लास 'ए' के हिस्ट्री शीटर का एक अग्रेतर वर्गीकरण है।निगरानी में रखे गए व्यक्तियों से अधिक गम्भीर प्रकृति 'तारांकित' श्रेणी है।पुलिस विनियमों के लेखकों के अनुसार, उनकी निगरानी अधिक जोरदार है और इसमें अधिक समय लगता है, जबकि क्लास 'बी' का हिस्ट्रीशीटर "सुधार करने में असमर्थ" है।पुलिस विनियमों के विनियम 232 में कहा गया है कि श्रेणी 'बी' के संदिग्धों को स्टार करना आवश्यक नहीं है।पुलिस विनियमों का विनियम 232 निम्नानुसार हैः

"232.बी क्लास की हिस्ट्री-शीट लगातार खुले रिकॉर्ड होंगे और हर विशेष सेरण को छोड़कर इन शीट के विषय मृत्यु तक निगरानी में रहेंगे।ऐसा होने के कारण इस वर्ग के संदिग्धों को स्टार करना अनावश्यक है।

13. एक वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्ग 'ए' की हिस्ट्री-शीट खोली गई है।लेकिन क्या पुलिस अधिकारियों के सामने ऐसा करने के लिए कोई प्रासंगिक सामग्री थी?यही सटीक प्रश्न है।

14. याचिकाकर्ता के विरुद्ध कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया था।उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले को छोड़ दें या उसे किसी एक मामले में दोषी ठहराया जाए।

नतीजतन, प्रश्न यह होगा कि क्या पुलिस अधिकारी वर्ग 'ए' अपराधी की हिस्ट्री-शीट खोलने में उचित हैं!पुलिस अधिकारियों ने अपने रुख को सही ठहराया है और कहा है कि याचिकाकर्ता "मुस्लिम गुज्जर" समुदाय के लिए आंदोलन करता है और अवैध रूप से वन भूमि पर कुछ मुस्लिम गुज्जरों की स्थापना की है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध यही एकमात्र सामग्री मात्र।याचिकाकर्ता की यह गतिविधि भले ही सही हो, लेकिन इसे उस गतिविधि के दायरे में नहीं लाती है जैसा कि पुलिस विनियमों के विनियमन 228 के से श्रेणी 'ए' हिस्ट्री-शीट से संबंधित है अर्थात डकैत, चोर, मवेशी-चोर रेलवे-सामान वैगन चोर और उकसाने वाले।लेकिन फिर भी पुलिस अधिकारियों को अधिकार दिया जाता है अगर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि न मात्र कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, बल्कि अगर वह उस गतिविधि में शामिल होने की "संभावना" भी है।फिर क्या?इस सटीक प्रश्न का उत्तर पुलिस विनियम के विनियम 240 (1) में निहित है, जो निम्नानुसार हैः

"240।दोनों वर्गों की इतिहास-पत्रक (1) संदेह पर या (2) दोषमुक्ति या दोषमुक्त होने पर खोली जा सकती हैं।पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना कोई हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जा सकती है।

(1) संदेह पर।डकैती, चोरी, पशु चोरी, रेलवे माल डिब्बों से या किसी पेशेवर प्रसेर के विविध अपराध के मामले में जांच के परिणामस्वरूप जब भी पुलिस स्टेशन से प्रभारी अधिसेरी किसी भी व्यक्ति से नाम अपराध रजिस्टर में दर्ज करने के लिए आवेदन करता है, तो उसे उसी समय यह भी बताना होगा कि क्या संदिग्ध निगरानी में है, और यदि नहीं, तो क्या उसकी मत में उसके लिए हिस्ट्रीशीट खोली जानी चाहिए।

यदि किसी उपखंड के राजपत्रित प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और ऐसी अग्रेतर की जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है कि एक इतिहास पत्रक की आवश्यकता है, तो वह अधीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा जो प्रस्ताव को स्वीकार करने पर इतिहास-पत्रक के वर्ग को परिभाषित करेगा जिसे खोला जाना है और आदेश पारित करेगा कि क्या संदिग्ध को 'तारांकित' किया जाना चाहिए।इसी तरह जब भी किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि उसके सर्कल का कोई भी निवासी अपराध का आदी है, या जब भी कोई राजपत्रित अधिकारी या सर्कल इंस्पेक्टर किसी भी कारण से मानता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए इतिहास-पत्रक आवश्यक है, तो अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो ऊपर दिए गए आदेशों को पारित करेगा।

15. विनियम 240 (1) से पता चलता है कि दो मामलों में संदेह होने पर हिस्ट्रीशीट खोली जा सकती है।पहली स्थिति ऐसे मामले में है जहां डकैती, चोरी, मवेशियों की चोरी, रेलवे माल के डिब्बों से चोरी या किसी पेशेवर प्रसेर के विविध अपराध के मामले में जांच के परिणामस्वरूप, पुलिस स्टेशन से प्रभारी अधिसेरी किसी भी व्यक्ति से नाम अपराध रजिस्टर में दर्ज करने के लिए उचित संदिग्ध पर आवेदन करता है, उसे उसी समय रिपोर्ट करनी चाहिए कि क्या संदिग्ध निगरानी में है, और यदि नहीं, तो क्या उसकी मत में उसके लिए हिस्ट्रीशीट खोली जानी चाहिए।यदि किसी उपखंड के राजपत्रित प्रभारी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और ऐसी अग्रेतर की जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझता है कि एक इतिहास-पत्रक की आवश्यकता है, तो वह पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा जो यदि इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वह इतिहास-पत्रक के वर्ग को परिभाषित करेगा जिसे खोला जाना है और आदेश पारित करेगा कि क्या संदिग्ध को 'तारांकित' किया जाना चाहिए।

16. दूसरी स्थिति यह है कि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच के अलावा यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि उसके सर्कल का कोई भी निवासी अपराध का आदी है, या जब भी कोई राजपत्रित अधिकारी या सर्कल इंस्पेक्टर किसी भी कारण से यह मानता है कि किसी व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट आवश्यक है तो पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो उस पर आदेश पारित करेगा, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है।

17. दोनों ही मामलों में, दोनों स्थितियों में सामान्य बात यह है कि यह पता लगाने के लिए कुछ जांच आवश्यक है कि स्टेशन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हिस्ट्री-शीट खोलने की आवश्यकता है या नहीं।

18. पहले मामले में, इतिहास-पत्रक तमात्र खोला जा सकता है जब कोई अधिकारी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचता है "ऐसी अग्रेतर की जाँच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे" इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचता है और दूसरे मामले में (यानी एक मामला जहां संदेह किसी अन्य कारण से है यानी जाँच के दौरान के अलावा अन्य कारणों से), फिर से यह किया जाना चाहिए यदि उसके पास "विश्वास करने का कोई कारण है", और अग्रेतर आदेशों को पारित किया जाना चाहिए जैसा कि पहली स्थिति में निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ फिर से "जाँच" के पश्चात होगा।दोनों ही मामलों में एक जांच और दिमाग का उपयोग होना चाहिए।वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही गतिविधि की प्रकृति पर किसी भी जांच को छोड़कर दिमाग का कोई उपयोग नहीं किया गया है।

उनके विरुद्ध इतिहास पत्र खोलने का एकमात्र कारण यह मात्र कि वह वन गुज्जरों के एक समुदाय के नेता मात्रं और उनकी ओर से और उनके हित में आंदोलन करते मात्रं।यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोलने का आधार नहीं हो सकता है!

19. सुनील कुमार सिंह बनाम के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा इसी तरह का विचार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, बलिया और अन्य, 1997 क्रि। एल. जे. 3201, जिसमें यह कहा गया है कि जहां विनियमन 240 (1) के से इतिहास पत्रक को मात्र संदेह के आधार पर खोला जाना है, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, खण्ड पीठ निम्नानुसार कहती हैः

"18. इस प्रकार इन स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जहां किसी मामले में जांच के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के विरुद्ध इतिहास-पत्रक खोलना आवश्यक समझा जाता है, वहां भी आसानी से एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात और अग्रेतर की जांच के पश्चात सक्षम प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेज सकते हैं।दोनों स्थितियों में, यह पता लगाने के लिए कुछ जांच आवश्यक है कि स्टेशन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हिस्ट्री-शीट खोलने की आवश्यकता है या नहीं।स्टेशन अधिकारी की रिपोर्ट पर एक कंबल-मुहर लगाना पर्याप्त नहीं है।

19. शब्द और अग्रेतर की जांच के पश्चात जैसा कि वह ऊपर निर्धारित समझता है, विनियमन-240 (1) के से विचार किए गए मामलों की दूसरी श्रेणी में समान रूप से लागू होते हैं।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जांच की जानी चाहिए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पाई जा सकती है।

20. हिस्ट्री-शीट चाहे वह क्लास 'ए' की हो या क्लास 'बी' की, उसे खोलने से मतलब होगा, ऐसे व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखना।नतीजतन, इसका मतलब उसकी निजता के अधिकार पर आक्रमण होगा।

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कम से कम कुछ मामलों में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1) (डी) के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के से निहित मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है।चूँकि हम स्वयं उन कानूनों की वैधता पर नहीं हैं जिनके से किसी व्यक्ति को निगरानी में रखा जाता है, इसलिए हमने मात्र इस बात की जांच की है कि क्या निगरानी के साथ-साथ हिस्ट्री-शीट खोलना मौजूदा कानूनों यानी पुलिस विनियमों के अनुसार है या नहीं।चूँकि वर्तमान मामला किसी व्यक्ति की "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसने इस न्यायालय की चिंता और चिंता दोनों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया था।

21. खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1295 में प्रतिवेदित) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के बारे में बहुमत का विचार यह था कि पुलिस विनियमों के से पुलिस द्वारा की जा रही निगरानी, और यह स्वयं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है, फिर भी यह सच है कि इन पुलिस निगरानी और इतिहास-पत्रक को खोलने के लिए पुलिस विनियमों के से प्रक्रिया और मापदंडों का सख्ती से पालन करना चाहिए।वर्तमान मामले में वह ऐसा करने में विफल रहा है।

22. नतीजतन, इस न्यायालय का विचार है कि पुलिस विनियमन और कानून के एक अन्य प्रावधान के प्रावधानों को देखने के पश्चात हालांकि किसी दिए गए मामले में किसी ऐद्वारा व्यक्ति के विरुद्ध इतिहास-पत्र खोला जा सकता है, जिसके आपराधिक बनने की संभावना है, जैद्वारा कि विनियमन 228 के से विचार किया गया है, फिर भी ऐद्वारा मामले में इतिहास पत्र खोले जाने द्वारा पहले, पुलिस अधिकारियों के पास उनके सामने "वस्तुनिष्ठ मानदंड" होना चाहिए, ताकि उस निष्कर्ष पर पहुंचने के आदेश, कुछ बोधगम्य सामग्री हो, जिस पर ऐसा निष्कर्ष आधारित हो सकता है, जैद्वारा कि पुलिस विनियमों के विनियमन 240 (1) में दिया गया है।

ये "वस्तुनिष्ठ मानदंड" रिपोर्टों में परिलक्षित होने चाहिए जो पुलिस की जांच या निष्कर्ष के परिणामस्वरूप होने चाहिए न कि केवल पुलिस अधिकारियों के अनुमानों और अनुमानों पर आधारित होने चाहिए।

22. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, रिट याचिका सफल हो जाती है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1993 की इतिहास-पत्रक संख्या 100-ए दिनांकित 01.06.1993 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

(यू. सी. ध्यानी, जे.) (सुधांशु धूलिया, जे.) (बी एस वर्मा।जे)

4 दिसंबर, 2013

असवाल